



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 20.09.2026

➤ थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए अवैध शस्त्र-कारतूस के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

कृपया अवगत कराना है जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 19/20.09.2026 को थाना रसूलाबाद पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम कटरा गोपालपुर मोड़ थाना क्षेत्र रसूलाबाद से अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ बड़े कुरील पुत्र कल्लू उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम तिश्ती थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात को समय करीब 02.00 बजे पुलिस हिरासत में लिया गया। जामा तलाशी में अभियुक्त के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 363/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम श्याम सिंह उर्फ बड़े कुरील उपरोक्त पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण –

1. श्याम सिंह उर्फ बड़े कुरील पुत्र कल्लू उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम तिश्ती थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।

बरामदगी का विवरण-

1. 01 तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

अभियुक्त श्याम सिंह उर्फ बड़े कुरील उपरोक्त का अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 363/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना रसूलाबाद, जनपद कानपुर देहात।
2. मु0अ0सं0 162/2026 धारा 115(2)/118(1)/131/296/3(5)/351(3)/352/74 बीएनएस थाना रसूलाबाद, कानपुर देहात।
3. मु0अ0सं0 96/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
4. मु0अ0सं0 331/2021 धारा 323/325/452/504/506 भादवि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
5. मु0अ0सं0 701/2020 धारा 323/498ए भादवि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।
6. मु0अ0सं0 191/2011 धारा 307 भादवि0 थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात।

गिरफ्तारी करने वाली थाना रसूलाबाद पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री केशव देव चौकी प्रभारी तिश्ती,
2. का0 288 सूर्यसेन,
3. का0 259 सरवरे आलम,
4. रि0का0 670 गजेन्द्र।